संउसं0–14 / एम 10–100 / 2006(खण्ड)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

संकल्प

विषयः–मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष में प्रावधानित राशि में वृद्धि एवं अधिसूचित रोगों के अलावे अन्य रोगों को शामिल करने के संबंध में।

राज्य के नागरिकों, जिनकी वार्षिक आय 2,50,000 (दो लाख पचास हजार) रूपये तक है, के असाध्य रोगो के ईलाज हेतु मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष का गठन किया गया है। इस सम्बन्ध में विभागीय संकल्प सं0–752(14) दि0–26.05.15 द्वारा अनुदान की राशि एवं असाध्य रोगों का निर्धारण किया गया है।

2. उक्त कोष से पूर्व में निर्धारित चिकित्सा राशि में वृद्धि एवं कतिपय अन्य रोगों को शामिल करने एवं उनके लिए अनुदान निर्धारित करने का मामला सरकार के विचाराधीन था।

विचारोपरान्त स्वास्थ्य विभाग के संकल्प सं0–752(14) दिनांक–26.05.15 में अधिसूचित रोगों के अतिरिक्त अन्य रोगों को शामिल करते हुए अधिसूचित राशि में वृद्धि के उपरान्त कंडिका –3 में अंकित राशि निर्धारित किया जाता है।

क्र0	रोगों का नाम			अनुदान की राशि (रूपये में)
(1)	(2)			(3)
1.	कैंसर	राज्य के अंदर	शल्य चिकित्सा रहित	Rs 80,000 /–
			शल्य चिकित्सा सहित	Rs 1,00,000/-
		राज्य के बाहर	शल्य चिकित्सा रहित	Rs 1,00,000 /–
			शल्य चिकित्सा सहित	Rs 1,20,000 /–
2.	हृदय रोग	MVR		Rs 1,50,000 /–
		AVR		Rs 1,50,000 /–
		DVR		Rs 1,90,000 /–
		PTCA		Rs 1,35,000 /–
		CARDIAC CONDUIT REPAIR		Rs 1,80,000 /–
		VSD		Rs 85,000 /–
		ASD		Rs 85,000 /–
		PDA		Rs 60,000 /–
		TOF		Rs 1,80,000 /–
		PACE MAKER		Rs 1,00,000 /–
		LAMYXOMA/OMV		Rs 1,20,000 /–
		CABG		Rs 1,80,000 /–
		BMV (Balloon mitral Valvotomy)		Rs 60,000 /–

271(14)
15.02.18

3.	एड्स रोग		Rs 1,20,000/–
4	ब्रेन रोग	लघु शल्य क्रिया	Rs 60,000/–
		वृहत शल्य क्रिया	Rs 3,00,000/–
5	नेत्र रोग (सर्जरी)	Cataract	Rs 20,000/–
		Retina	Rs 40,000/–
6	स्पाईनल सर्जरी		Rs 1,80,000/–
7.	मेजर वासकुलर सर्जरी		Rs 2,40,000/–
8.	गुर्दा रोग	गुर्दा प्रत्यारोपण	Rs 3,00,000/–
9.	कोकलियर इम्पलांट		Rs 5,50,000/–
10	आर्थोपेडिक टोटल हीप रिपलेसमेन्ट	Cemented	Rs 1,20,000/–
		Uncemented	Rs 1,70,000/–
	टोटल नी रिपलेसमेन्ट		Rs 1, 50,000/–
11	प्लास्टिक सर्जरी/एसिड एटैक से पीड़ित	(चेहरा) Face	Rs 1,80,000/–
		(अन्य भाग) Other Part	Rs 1,20,000/–
12	बोन मैरो ट्रॉसप्लान्ट	सर्जरी सहित	Rs 5,00,000/–
13	हिमोफिलिया	सर्जरी सहित	Rs 80,000/–
14	ट्रान्स जेन्डर	सर्जरी सहित	Rs 1,50,000/–
15	हेपेटाईटिस		Rs 1,00,000/–
16	ट्रामा/दुर्घटना/ब्रेन हेम्रेज	शल्य चिकित्सा सहित/रहित	Rs 1,00,000/–

3. उपरोक्त सम्बंधित रोगों की चिकित्सा सभी सरकारी अस्पतालों एवं सी0जी0एच0एस0 से मान्यता प्राप्त अस्पतालो के लिए ही मान्य होगी। यह सुविधा सिर्फ बिहार के नागरिकों के लिए होगी। चिकित्सा अनुदान की प्राप्ति हेतु वार्षिक आय की अधिकतम सीमा 2,50,000/– (दो लाख पचास हजार रुपये) तक निर्धारित रहेगी।

4. (A) **स्वीकृति की प्रक्रिया** :–

आवेदन के साथ निम्नलिखित कागजात अनिवार्य होंगें :–

- **सरकारी/सी0जी0एच0एस0 से मान्यता प्राप्त अस्पताल द्वारा निर्गत अद्यतन मूल प्राक्कलन।**
- **अद्यतन मूल आय प्रमाण पत्र (पता सहित अनुमंडलाधिकारी/अंचलाधिकारी कार्यालय द्वारा निर्गत)**
- **चिकित्सा पुर्जा की छायाप्रति, के साथ आवेदन करना होगा।**

(B) प्राप्त ऐसे आवेदनों पर स्वीकृति हेतु निर्णय लेने के लिए निम्न अनुसार अधिकृत राज्यस्तरीय समिति गठित की गई हैः–

(i)	निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना	➢ अध्यक्ष
(ii)	मुख्यमंत्री सचिवालय द्वारा नामित संयुक्त सचिव/उप सचिव/ओ0एस0डी0	➢ सदस्य
(iii)	आंतरिक वित्तीय सलाहकार, स्वास्थ्य विभाग	➢ सदस्य
(iv)	अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना	➢ सदस्य सचिव

(C) समिति की बैठक प्रत्येक बुधवार को नियमित रूप से निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाऐं, बिहार, पटना के कार्यालय कक्ष में अपराहन् 3:30 बजे होगी। बैठक में सप्ताह भर में प्राप्त आवेदनों पर समिति द्वारा जॉचोपरान्त नियमानुसार विचार किया जायेगा। **वर्णित रोग के लिए प्रावधानित राशि अथवा प्राक्कलित राशि दोनों में से जो कम होगी, वहीं अनुदान देय होगा।** बुधवार को अवकाश की स्थिति में बैठक पूर्व/अगले कार्य दिवस में निर्धारित रहेगी।

(D) उपबंधित राशि की निकासी कर इसे निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें तथा अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें के पदनाम से खोले गये बैंक खाता में रखा जायगा। स्वीकृत चिकित्सा अनुदान की राशि RTGS/Cross चेक के माध्यम से संबंधित संस्थान को भेजी जाएगी।

(E) **स्वीकृत अनुदान की राशि संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी को नहीं दी जायेगी। चिकित्सोपरान्त अनुदान की स्वीकृति/प्रतिपूर्ति का प्रावधान नहीं हैं।**

5. उपर्युक्त सुविधा वैसे राज्य सरकार के लोक उपक्रमों के कर्मियों को भी दी जा सकेगी, जो उपक्रम अकार्यरत हो या घाटे में हो या विघटन की प्रक्रिया में हो। वैसे कर्मी अपने उपक्रम के प्रबंध निदेशक के माध्यम से समिति को अपना आवेदन भेजेगें। उनके लिये आय सीमा की बाध्यता नही होगी।

6. चिकित्सोपरान्त अनुदान की स्वीकृति/प्रतिपूर्त्ति का प्रावधान नहीं किया गया है, परंतु अतिआकस्मिकता की स्थिति यथा हृदय आघात, अतिगंभीर दुर्घटना एवं ब्रेन हेम्रेज (दुर्घटना/ट्रामा मामले) में मरीज के सरकारी अस्पताल/सी0जी0एच0एस0 से मान्यता प्राप्त अस्पताल में ईलाज हेतु भर्ती होने पर निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को चिकित्सारत अवधि के अधिकतम 10(दस) दिनों के अन्दर सूचित किये जाने पर चिकित्सा में खर्च की गई प्रावधानित/अधिसूचित राशि की प्रतिपूर्त्ति अतिविशेष परिस्थिति में की जा सकेगी।

7. अति विशिष्ट मामलो में उपर्युक्त प्रावधानित राशि एवं अधिसूचित रोगों के अतिरिक्त किसी अन्य बीमारी में या प्रावधानित राशि से अधिक व्यय होने पर विशेष आकस्मिकता की स्थिति में निम्नानुसार प्रावधानित राशि के अतिरिक्त राशि स्वीकृत करने की शक्ति प्रत्यायोजित की गई हैः–

271(14)
15.02.18

(a)	मुख्य मंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित राज्यस्तरीय समिति को	➢	प्रत्येक मामले में अधिकतम रू0 एक लाख की अधिसीमा तक।
(b)	उक्त समिति की अनुशंसा पर सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य को	➢	तीन लाख रू0 की अधिसीमा तक।
(c)	उक्त समिति की अनुशंसा पर माननीय मंत्री, स्वास्थ्य को	➢	छः लाख रू0 की अधिसीमा तक।
(d)	उक्त समिति की अनुशंसा पर वित्त विभाग की सहमति से	➢	बारह लाख रू0 की अधिसीमा तक।

इससे ऊपर की राशि की स्वीकृति के लिए मंत्रिपरिषद का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा।

8. नई दिल्ली में ईलाज हेतु स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली को पूर्व से ही राशि दी जाती है। मुम्बई में कैंसर के ईलाज हेतु टाटा स्मारक अस्पताल में काफी संख्या में बिहार के मरीज जब उपचार के लिये आते हैं तो उन्हें अनुदान स्वीकृत कराने के लिये मुम्बई से बिहार के चक्कर लगाने पडते हैं। इस प्रक्रिया को सरलीकृत करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। इसी क्रम में विचारोपरान्त निम्न प्रावधान किया जाता है :–

(A) स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली के तर्ज पर मुम्बई में उद्योग विभाग, बिहार के निवेश आयुक्त कार्यालय, मुम्बई को भी स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार द्वारा ''मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष'' की एक मुश्त राशि उपलब्ध कराई जायेगी। इस राशि से बिहार के रोगियों को जो टाटा स्मारक अस्पताल, मुम्बई में कैंसर रोग की चिकित्सा कराते हैं, उन्हें कंडिका 2 की विवरणी के क्रमांक–1 पर अंकित के अनुरूप राशि स्वीकृत की जायगी।

(B) <u>शर्ते :–</u>

चिकित्सा पर होनेवाले व्यय के लिए अग्रिम बतौर राशि विभाग के द्वारा संबंधित निवेश आयुक्त कार्यालय, मुम्बई को उपलब्ध करा दी जायगी, जिसे वे राष्ट्रीयकृत बैंक के बचत खाते में रखेगें।

(i) प्राप्त आवेदनों की जॉच कर निर्धारित सीमा एवं वास्तविक अनुमानित व्यय, दोनों में से जो कम हो, के अन्तर्गत चिकित्सा की स्वीकृति उनके स्तर से दी जायेगी।

(ii) चिकित्सा के उपरान्त रोगी के आवेदन की प्रति निवेश आयुक्त कार्यालय, मुम्बई/स्थानिक आयुक्त कार्यालय नई दिल्ली में संधारित की जायगी, जिसे अकेक्षण के समय अथवा अन्य अवसर पर मॉगे जाने पर प्रस्तुत किया जा सकेगा।

(iii) आवंटित राशि की उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध करने के पश्चात अगला आवंटन दिया जा सकेगा।

(iv) स्वीकृति देने से पूर्व रोगी से सम्बन्धित निम्न कागजातों के साथ आवेदन करना अनिवार्य होगाः—

- अनुमंडलाधिकारी/अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत अद्यतन मूल आय प्रमाण पत्र।
- चिकित्सा संस्थान, द्वारा निर्गत अद्यतन मूल प्राक्कलन।
- आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र की छायाप्रति।

9. स्वास्थ्य विभाग को इस कोष से भुगतान होने वाली राशि की प्रक्रिया में एवं मरीजो के हित के लिएं किसी भी प्रकार के परिवर्तन/सरलीकरण करने के लिए प्राधिकृत किया है।

10. **इस हेतु पूर्व से निर्गत सभी संकल्प संशोधित समझे जायेंगें।**

15/2/2018
(संजय कुमार)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–271 (14) पटना, दिनांक 15.02.18

प्रतिलिपि–अधीक्षक,सचिवालय मुद्रणालय एवं प्रेस, गुलजारबाग, पटना को गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

15/2/2018
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–271 (14) पटना, दिनांक 15.02.18

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सभी जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–मुख्य सचिव, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना/मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/प्रधान सचिव सभी विभाग/सभी जिलाधिकारी, बिहार, पटना/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना/अधीक्षक, सभी मेडिकल कालेज एवं अस्पताल/प्राचार्य, सभी मेडिकल कॉलेज/सभी सिविल सर्जन/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन नई दिल्ली/बिहार के निवेश आयुक्त कार्यालय, मुम्बई/आई. जी. आई. सी. पटना/जय प्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशीनगर पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/2/2018
सरकार के प्रधान सचिव।

D:\rajesh kumar\sankalp\mukhyamantri chikitsa rahat kosh sankalp 2018.doc

संं0 स0 14/एम–10–100/2006
बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
संकल्प

विषयः–मुख्य मंत्री चिकित्सा सहायता कोष में पूर्व से प्रावधानित राशि में वृद्धि करने एवं अधिसूचित रोगों के अलावे अन्य रोगों को शामिल करने के संबंध में।

सरकार ने मुख्य मंत्री चिकित्सा सहायता कोष के नाम से एक चिकित्सा सहायता कोष का गठन किया है। सरकार द्वारा राज्य के वैसे नागरिको जो गरीबी रेखा से उपर है परन्तु एक लाख तक वार्षिक आय है, को असाध्य रोगों की चिकित्सा हेतु चिकित्सा अनुदान की सुविधा प्रदत्त है।

2. उक्त कोष से पूर्व में निर्धारित राशि को बढ़ाने एवं कतिपय अन्य रोगो को शामिल करने एवं उनके लिए अनुदान निर्धारित करने का प्रस्ताव विचाराधीन था। इन्हीं तथ्यों को दृष्टि में रखते हुए ''राज्यस्तरीय चिकित्सा पर्षद'' की अनुशंसा पर स्वास्थ्य विभाग के संकल्प सं0–2353(14) दिनांक–12.09.06 द्वारा पूर्व अधिसूचित रोगों के अतिरिक्त अन्य रोगों को शामिल करने एवं पूर्व अधिसूचित राशि में निम्न्वत वृद्धि का प्रावधान किया गया है।

क्र0	रोगों का नाम		अनुदान की राशि रूपये में
(1)	(2)		(3)
1.	कैंसर	शल्य चिकित्सा सहित राज्य के अंदर	Rs 80,000/–
		शल्य चिकित्सा रहित राज्य के अंदर	Rs 60,000/–
		शल्य चिकित्सा सहित राज्य के बाहर	Rs 1,00,000/–
		शल्य चिकित्सा रहित राज्य के बाहर	Rs 80,000/–
2.	हृदय रोग	MVR	Rs 1,25,000/–
		AVR	Rs 1,25,000/–
		DVR	Rs 1,60,000/–
		PTCA	Rs 1,25,000/–
		CARDIAC CONDUIT REPAIR	Rs 1,50,000/–
		VSD	Rs 70,000/–
		ASD	Rs 70,000/–
		PDA	Rs 50,000/–
		TOF	Rs 1,50,000/–
		PACE MAKER	Rs 85,000/–
		LAMYXOMA/OMV	Rs 1,00,000/–
		CABG	Rs 1,50,000/–
		BMV (Baloon mitral Valvotomy)	Rs 50,000/–
3.	एड्स रोग		Rs 1,00,000/–
4	ब्रेन रोग	लघु शल्य क्रिया	Rs 50,000/–
		वृहत शल्य क्रिया	Rs 2,50,000/–
5	नेत्र रोग (सर्जरी)		Catract Rs 15,000/– Retena Rs 50,000/–
	स्पाईनल सर्जरी		Rs 1,50,000/–
	मेजर वासकुलर सर्जरी		Rs 2,00,000/–

8.	गुर्दा रोग	गुर्दा प्रत्यारोपण	Rs 2,50,000/–
9.	कोकलियर इम्पलांट		Rs 6,50,000/–
10	आर्थोपेडिक	टोटल हीप रिपलेसमेन्ट	Cemented Rs 1,00,000/– Un Cemented Rs 1,5 0,000/–
		टोटल नी रिपलेसमेन्ट	Rs 1, 50,000/–
11	प्लास्टिक सर्जरी/एसिड एटैक से पीड़ितों		Face Rs 1,50,000/– Other Part Rs 1,00,000/–

कंडिका 10 एवं 11 पूर्व में संकल्प संख्या 1012(14) दिनांक 03.9.2014 द्वारा निर्गत है, के कंडिका 4(क) में अंकित राशि को इस हद तक संशोधित समक्षा जायेगा।

उपरोक्त रोगों से सम्बंधित चिकित्सा सभी सरकारी अस्पतालों एवं सी0जी0एच0एस0 से मान्यता प्राप्त अस्पतालो के लिए ही मान्य होगी।

3. उपर्युक्त सुविधा वैसे लोक उपक्रमों के कर्मियों को भी दी जा सकेगी, जो उपक्रम अकार्यरत हो या घाटे में हो या विघटन की प्रक्रिया में हो। वैसे कर्मी अपने उपक्रम के प्रबंध निदेशक के माध्यम से समिति को अपना आवेदन भेजेगें। उनके लिये आय सीमा की बाध्यता नही होगी।

4. **स्वीकृति की प्रकियाः–_संकल्प सं0–2353(14) दिनांक–12.9.06 में निर्धारित प्रक्रिया लागू रहेगी।**

(i) समिति की बैठक प्रत्येक बुधवार के नियमित रूप से निदेशक प्रमुख, स्वा0 सेवायें, बिहार, पटना के कार्यालय कक्ष में अपराहण 3:00 बजे होगी।

(ii) **स्वीकृत चिकित्सा अनुदान की राशि चेक के माध्यम से संबंधित संस्थान को भेजी जायेगी। स्वीकृत अनुदान की राशि संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उतराधिकारी को नही दी जायेगी। चिकित्सोपरान्त अनुदान की स्वीकृति/प्रतिपूर्ति का प्रावधान नही किया गया है।**

(iii) राज्य के सभी सरकारी संस्थानों में निजी व्यवस्था द्वारा उपलब्ध पेड सुविधायें (डायलैसिस, सिटी स्कैन, एम आर आई, एक्स–रे एवं अन्य) विशेष परिस्थिति में मुफ्त दी जायेगी। राशि का भुगतान **रोगी कल्याण समिति** से किया जाऐगा जिसकी अधिकतम सीमा 2500 रू0 होगी। इसके लिए मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से एक मुश्त राशि समिति को उपलब्ध कराई जाऐगी।

(iv) रोग के लिये प्रावधानित राशि अथवा प्राक्कलित राशि दोनों में से जो कम होगा, वही अनुदान देय होगा।

(5) **स्वास्थ्य विभागीय संकल्प 2353(14) दिनांक–12.09.06 में प्रावधानित वार्षिक आय की सीमा एक लाख तक से बढ़ाकर दो लाख पचास हजार तक होगा।**

अति विशेष मामलो में उपर्युक्त प्रावधानित राशि एवं अधिसूचित रोगों के अतिरिक्त किसी अन्य विमारी में या प्रावधानित राशि से अधिक व्यय होने पर अथवा विशेष आकस्मिकता की स्थिति में निम्नानुसार राशि स्वीकृत करने की शक्ति प्रत्यायोजित की जाती है:–

(a)	मुख्य मंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित समिति को	:-प्रत्येक मामले में अधिकतम पचास हजार रू0 की अधिसीमा तक
(b)	उक्त समिति की अनुशंसा पर सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य को	:-दो लाख रू0 की अधिसीमा तक।
(c)	उक्त समिति की अनुशंसा पर माननीय मंत्री, स्वास्थ्य को	:-पॉच लाख रू0 की अधिसीमा तक।
(d)	उक्त समिति की अनुशंसा पर वित्त विभाग की सहमति से	:-दस लाख रू0 की अधिसिमा तक।

इससे उपर की राशि की स्वीकृति के लिए मंत्रिपरिषद का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा।

6 सिर्फ अति विशिष्ट मामलों में गंभीर/असाध्य रोगो/विशेष आकस्मिकता की स्थिति में एयर एबुंलेस की सुविधा प्राधिकृत चिकित्सक की अनुशंसा पर माननीय मुख्य मंत्री के अनुमोदन के पश्चात् दी जायेगी।

ह0/–
(शेखर चन्द्र वर्मा)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक– पटना, दिनांक

प्रतिलिपि–अधीक्षक,सचिवालय मुद्रणालय एवं प्रेस, गुलजारबाग, पटना को गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक– 752(14) पटना, दिनांक 26/6/15

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सभी जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–मुख्य सचिव, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना/मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/प्रधान सचिव सभी विभाग/सभी जिलाधिकारी, बिहार, पटना/ निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना/ अधीक्षक, सभी मेडिकल कालेज एवं अस्पताल/प्राचार्य, सभी मेडिकल कॉलेज/सभी सिविल सर्जन/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन नई दिल्ली/आई. जी. आई. सी. पटना/जय प्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशीनगर पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

विनोद

D:\rajeh kumar\sankalp\mukhyamantri chikitsa rahat kosh.doc

संoसंo–14 / एम10–100 / 2006 (खण्ड–2)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

–: संकल्प :–

विषयः– मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से राज्य के मरीजों को ईलाज के लिए अनुदान का लाभ प्राप्त करने हेतु पूर्व से निर्धारित वार्षिक आय सीमा ₹ 2,50,000 (दो लाख पचास हजार) रूपये से बढ़ाकर ₹ 4,00,000 (चार लाख) रूपये करने की स्वीकृति के संबंध में।

राज्य के निवासियों, जिनकी वार्षिक आय ₹ 2,50,000 (दो लाख पचास हजार) रूपये तक है, के गंभीर रोगों के ईलाज हेतु मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से चिकित्सा हेतु संबंधित संस्थान को अनुदान दिये जाने का प्रावधान है। इस सम्बन्ध में विभागीय संकल्प संख्या–271(14), दिनांक–15.02.2018 द्वारा अनुदान की राशि, असाध्य/गंभीर रोगों का निर्धारण एवं अनुदान स्वीकृति की प्रक्रिया निर्धारित है।

2. उल्लेखनीय है कि स्वास्थ्य विभागीय संकल्प संख्या–752(14), दिनांक–26.06.2015 द्वारा मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से चिकित्सकीय अनुदान प्राप्त करने हेतु राज्य के निवासियों की अधिकतम वार्षिक आय सीमा ₹ 2,50,000 (दो लाख पचास हजार रूपये) निर्धारित की गयी थी। पुनः स्वास्थ्य विभागीय संकल्प संख्या–271(14), दिनांक–15.02.2018 द्वारा उपर्युक्त संकल्प में संशोधन कर कतिपय अन्य रोगों को शामिल करते हुये अनुदान की राशि में वृद्धि किया गया है, परंतु चिकित्सकीय अनुदान प्राप्त करने हेतु निर्धारित अधिकतम वार्षिक आय सीमा में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। वर्तमान में मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान प्राप्त करने हेतु निर्धारित वार्षिक आय सीमा ₹ 2,50,000 (दो लाख पचास हजार रूपया) ही है, जो 10 वर्ष से भी अधिक समय से निर्धारित है।

3. विगत इन वर्षो में महंगाई दर में निरंतर वृद्धि होने के साथ–साथ लोगों के जीवनयापन की लागत में भी तेजी से वृद्धि हुई है तथा इसके अनुरूप राज्य के निवासियों की आय स्तर में भी वृद्धि हुई है। साथ ही चिकित्सकीय खर्च भी महंगी हुई है। ऐसे में ₹ 2,50,000 (दो लाख पचास हजार रूपये) से अधिक वार्षिक आय वाले परिवार/मरीज भी ईलाज में खर्च का वहन करने में सक्षम नहीं हो पा रहे है, जिसे दृष्टिपथ रखते हुए मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से राज्य के मरीजों को ईलाज के लिए अनुदान हेतु निर्धारित वार्षिक आय सीमा में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। ताकि अधिक से अधिक गरीब परिवारों के मरीजों को इसका लाभ मिल सके।

4. दिनांक–19.03.2026 को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से लाभुकों की निर्धारित आय सीमा में वृद्धि किये जाने हेतु राज्यस्तरीय प्राधिकृत समिति की बैठक आहूत की गई, जिसमें वर्तमान निर्धारित वार्षिक आय सीमा ₹ 2,50,000 (दो लाख पचास हजार) रूपये से बढ़ाकर ₹ 4,00,000 (चार लाख) रूपये किये जाने की अनुशंसा की गई है ।

1616(14)
04/6/2026

Scanned with OKEN Scanner

5. वर्णित स्थिति में मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से राज्य के मरीजों को ईलाज के लिए अनुदान का लाभ प्राप्त करने हेतु पूर्व से निर्धारित वार्षिक आय सीमा ₹ 2,50,000 (दो लाख पचास हजार) रूपये से बढ़ाकर ₹ 4,00,000 (चार लाख) रूपये किए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

6. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक–03.06.2026 के मद संख्या–12 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

7. पूर्व निर्गत स्वास्थ्य विभागीय संकल्प संख्या–271(14), दिनांक–15.02.2018 इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में सर्वसाधारण के जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

4/6/26

(कुमार रवि)
सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–14/एम10–100/2006 (खण्ड–2) 1616(14) **/स्वा०, पटना, दिनांक–** 04/6/2026

प्रतिलिपि– प्रभारी पदाधिकारी, ई०–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार/अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय एवं प्रेस, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि–महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सभी जिला, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–मुख्य सचिव, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सभी विभाग, बिहार/सचिव, बिहार विधान परिषद्/बिहार विधान सभा/महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिलाधिकारी, बिहार/सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना/सभी अधीक्षक, मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, बिहार/सभी प्राचार्य, मेडिकल कॉलेज, बिहार/सभी सिविल सर्जन, बिहार/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली/उद्योग विभाग, बिहार के निवेश आयुक्त कार्यालय, मुम्बई/सभी निदेशक, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, बिहार एवं अन्य सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–माननीय मंत्री (स्वास्थ्य) के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/अपर सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/सभी विशेष कार्य पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

E:\Section-14\Vikash\Sanlekh\CMRF\income limit increase\Sankalp.docx 02-07-2025

Scanned with OKEN Scanner

प्रतिलिपि–अध्यक्ष / सभी सदस्य, मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के अधिकृत समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–अपर सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक–03.06.2026 के मद संख्या–12 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

5/6/26

सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

E:\Section-14\Vikash\Sanlekh\CMRF\income limit increase\Sankalp.docx 02.07.2025

Scanned with OKEN Scanner